देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

आलेख संख्या– 2024/palm/08 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 29 जुलाई 2024

बाबू खान एंड कंपनी की दादागिरी!!!
आबकारी विभाग के नियमों को ताक पर रख कर
जयपुर शहर मे जहां चाहे वही खोल रहे शराब की दुकाने!!!

विशेष रिपोर्ट-2

लाईसेंसी सलमा बानो द्वारा आबकारी विभाग की दुकान संख्या 7,वार्ड(53)(54) जयपुर ग्रेटर को दुकान संख्या 2,3 सूरज नगर,करणी पेलेस रोड मे खोलने से क्षेत्र मे हो रहा बवाल!!

पूरे मामले मे आबकारी विभाग की मिलीभगत हुई उजागर क्यूंकि दुकान से महज 125 मीटर के दायरे मे क्षेत्र की 10 वीं तक की एस.एस. पब्लिक स्कूल संचालित!! ऐसे मे आबकारी नियम 75 की खुलेआम उड़ रही धज्जियां!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

आबकारी अधिकारी खुद ही उड़ा रहे राजस्थान आबकारी नियम 75 का मखौल

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 मे स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्कूल,कॉलेज,अस्पताल,धार्मिक स्थल,सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,हरिजन बस्ती,लेबर कॉलोनी के 200 मीटर के दायरे मे कोई भी शराब की दुकान नहीं लगाई जाएगी|साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्कूल,कॉलेज से भिन्न शिक्षण संस्थान होने की स्थिति मे उनके बंद होने के कम से कम एक घंटे बाद ही उस शराब की दुकान को खोलने की अनुमति दी जा सकेगी|

लेकिन इसके बावजूद आबकारी विभाग के जयपुर पश्चिम के वार्ड संख्या (53) (54) ग्रेटर मे स्थित दुकान संख्या 7 की लॉकेशन दुकान संख्या 2,3 सूरज नगर,करणी पेलेस रोड पर स्वीकृत कर दी गई जबकि इस दुकान के 200 मीटर के दायरे मे 10 वीं तक की स्कूल एस. एस. पब्लिक स्कूल संचालित है|

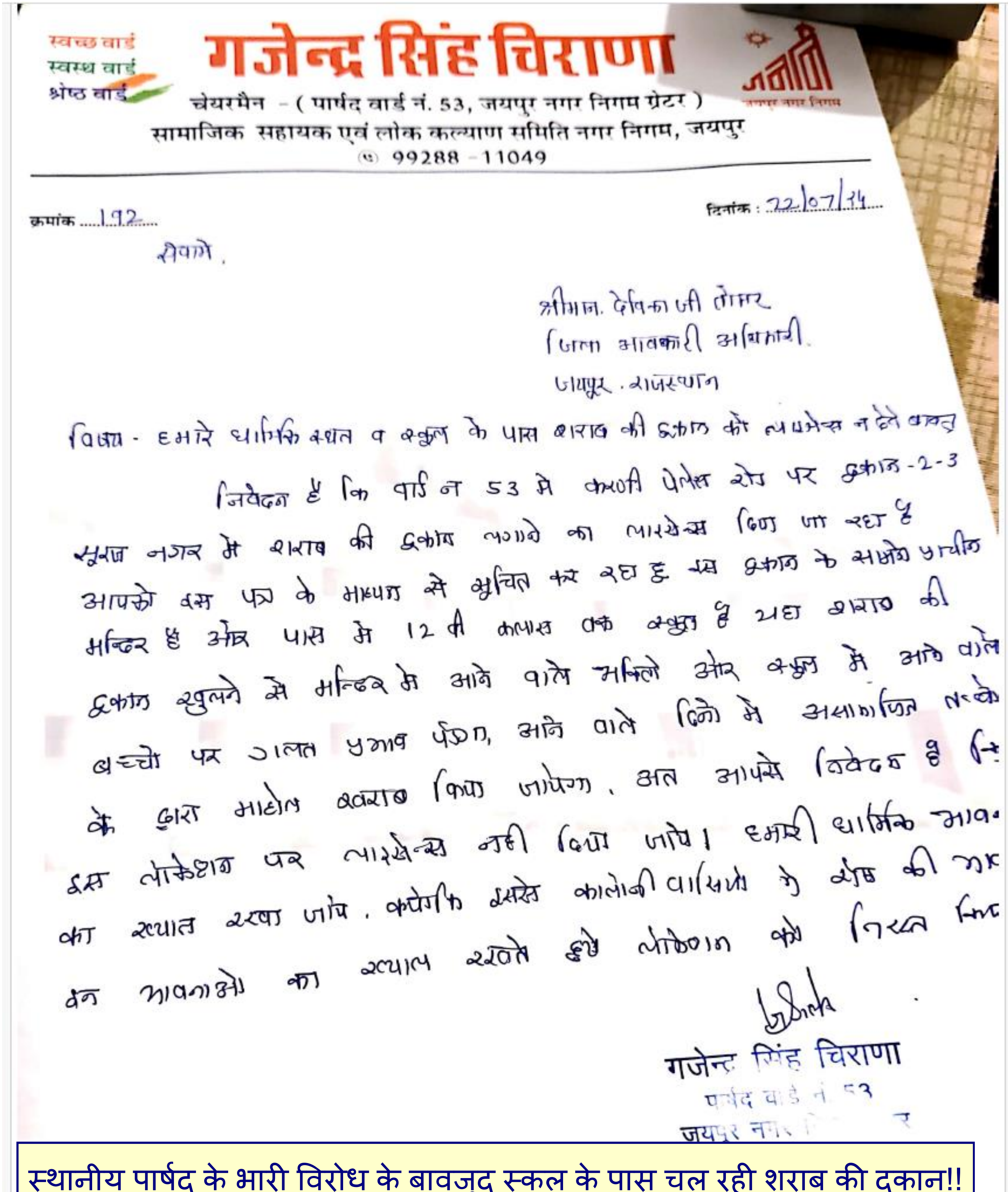

स्वच्छ वार्ड
स्वस्थ वार्ड
श्रेष्ठ वार्ड

गजेन्द्र सिंह चिराणा

चेयरमैन - (पार्षद वार्ड नं. 53, जयपुर नगर निगम ग्रेटर)
सामाजिक सहायक एवं लोक कल्याण समिति नगर निगम, जयपुर
99288 - 11049

क्रमांक 192 दिनांक : 22/07/24

सेवामें,

श्रीमान. देविका जी तोमर
जिला आबकारी अधिकारी.
जयपुर . राजस्थान

विषय - हमारे धार्मिक स्थल व स्कूल के पास शराब की दुकान को लाइसेन्स न देने बाबत

निवेदन है कि वार्ड न 53 मे करणी पैलेस रोड पर दुकान-2-3 सूरज नगर मे शराब की दुकान लगाने का लाइसेन्स दिया जा रहा है आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित कर रहा हू इस दुकान के सामने प्राचीन मन्दिर है और पास मे 12 वी कक्षा तक स्कूल है यहा शराब की दुकान खुलने से मन्दिर मे आने वाले महिलाओ और स्कूल मे आने वाले बच्चो पर गलत प्रभाव पडेगा, आने वाले दिनो मे असामाजिक तत्वो के द्वारा माहोल खराब किया जायेगा . अत आपसे निवेदन है कि इस लोकेशन पर लाइसेन्स नही दिया जाये। हमारी धार्मिक भावनाओ का ख्याल रखा जाये . क्योंकि इससे कालोनी वासियो के बीच की [illegible] जन भावनाओ का ख्याल रखते हुये लोकेशन को निरस्त किया

गजेन्द्र सिंह चिराणा
पार्षद वार्ड नं. 53
जयपुर नगर [illegible]

स्थानीय पार्षद के भारी विरोध के बावजूद स्कूल के पास चल रही शराब की दुकान!!

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है|पाठको की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागो के संज्ञान मे लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित आलेखो को पीडीएफ़ फोर्मेट मे प्रकाशित किया गया है|पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है|

अवैध शराब की दुकान के कारण छिन रहा स्थानीय निवासियों का सुख-चैन!!

स्थानीय निवासियों के अनुसार अभी तो इस दुकान को खुले हुए 5-7 दिन ही हुए है और अभी से ही इस शराब की दुकान मे आने वाले ग्राहकों की सुबह से लेकर देर रात तक, भीड़ लगी रहती है|सबसे बड़ी बात यह है कि करणी पेलेस रोड पर मजदूर चोराहा होने के कारण देसी और सस्ती पीने वाले श्रमिकों का इस दुकान पर तांता लगा रहता है और कई तो यही बेहोश होकर गिर जाते है या फिर आपस मे लड़ाई-झगड़ा कर,स्थानीय माहौल खराब कर रहे है|उनके अनुसार यदि समय रहते ही जेडीए द्वारा इस अवैध दुकान को बनने से रोक दिया जाता तो शराब लाईसेंसी को मजबूरन और कहीं इस दुकान को खोलनी पड़ती,जिससे यहाँ की सुख शांति भंग नहीं होती|स्थानीय निवासी अब जेडीए से गुहार लगा रहे है कि रातों-रात बनी इस अवैध दुकान के विरुद्ध कार्यवाही करें|देखना यह है कि क्या जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान मे आने के बाद इस दुकान को हटवाया जाता है या फिर नियमों की आड़ बताकर,मामले को लटका दिया जता है|

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 – दुकानों की अवस्थिति

75(1) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या हैम्प औषधियों के खुदरा विकय का लाईसेन्सधारी अपनी दुकान केवल संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा विकय की दुकान महाविद्यालयों, सीनियर माध्यमिक विद्यालय सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, पूजास्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कारखाना या श्रमिक अथवा हरिजन कॉलोनी से 200 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी ।

(3) खुदरा विकय के लिये दुकान जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदली नहीं जायेगी ।

(4) जिला आबकारी अधिकारी पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी दुकान को एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदल सकेगा और दुकान बदलने के लिये लाईसेंसधारी को कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी ।

परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारणें को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उपरोक्त शर्तो में छूट प्रदान की जा सकेगी।

(नोटः राज्य सरकार के पत्र कमांक प.4(1)वित्त/आब/ 2008 दिनांक 21.01.2009 से राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 (2) के अन्तर्गत शिथिलता प्राप्त कर राज्यभर में शिथिलता के अन्तर्गत संचालित दुकानों के आदेश को प्रत्याहरित (Withdraw) करने के निर्देश प्रदान किये थे इसकी पालना में इस कार्यालय के आदेश कमांक प.32(बी)(42) आब/एल/2006/2612 दिनांक 21.01.2009 से राज्य में नियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त शिथिलता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया गया।)

स्पटीकरण –

(1) नियम 75 के उपनियम (2) के उद्धेश्य के लिये पूजा के स्थान से दुकान की दूरी के संबंध में प्रतिबन्ध एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में केवल उन्हीं स्थानों के लिये लागू होगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली सूची में वर्णित होगें।

(2) हरिजन कॉलोनी से तात्पर्य नगर पालिका के ऐसे वार्ड से है जिसवमें अन्तिम जनगण्ना के अनुसार वार्ड की समस्त जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हों ।

(3) महाविद्यालय या सीनियर सैकेन्डरी स्कूल स्तर के विद्यालयों से भिन्न शैक्षणिक संस्थापन के समीप स्थिति कोई दुकान संस्थान के बंद होने के कम से कम एक घंटे पश्चात् खोली जावेगी ।

(4) नियम 75 के उप नियम (2) के उद्धेश्य के लिये मनोरंजन स्थान से तात्पर्य केवल थियेटर अथवा सिनेमा हॉल से है,

क्या जिम्मेदार अधिकारी करेंगे इस दुकान की लोकेशन निरस्त करने की हिम्मत?

देखना यह है कि यह मामला जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान मे आने के बाद नियमविरुद्ध स्कूल\ के 200 मीटर दायरे मे संचालित और शराब की इस दुकान की लोकेशन निरस्त करेंगे|